

मद क्रमांक 1

- (i) प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनांतर्गत सिविल बस डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु केन्द्रांश के रूप में आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।
- (ii) प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनांतर्गत सिविल बस डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक सहित इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹15,00,00,100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

- (i) प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनांतर्गत बी.टी.एम. पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु केन्द्रांश के रूप में आकस्मिकता निधि से ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।
- (ii) प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनांतर्गत बी.टी.एम. पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक सहित इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹15,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

- (i) प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनांतर्गत सिविल बस डिपो इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु राज्यांश के रूप में आकस्मिकता निधि से ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।
- (ii) प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनांतर्गत बी.टी.एम. पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु राज्यांश के रूप में ₹1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक सहित इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹10,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

- प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजनांतर्गत बी.टी.एम. पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु राज्यांश के रूप में आकस्मिकता निधि से ₹100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।
अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।